भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	746,57,31	684,03,40
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	146623,96,30	124348,98,77
अल्पांश हित		4909,15,07	4253,86,10
जमाराशियाँ	3	1838852,35,65	1627402,61,19
उधार	4	223759,70,95	203723,19,69
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	181089,85,70	172695,87,88
योग		**2395981,60,98**	**2133108,57,03**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	114095,60,38	89574,03,11
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	53065,74,09	55653,69,49
निवेश	8	578793,08,61	519343,42,39
अग्रिम	9	1578276,68,60	1392608,03,33
अचल आस्तियाँ	10	10559,78,10	9369,92,56
अन्य आस्तियाँ	11	61190,71,20	66559,46,15
योग		**2395981,60,98**	**2133108,57,03**
आकस्मिक देयताएँ	12	1172565,68,45	1056483,76,02
संग्रहण के लिए बिल		90196,99,38	80201,66,95
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा-टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस. वैंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार

(जी. नारायण स्वामी)
भागीदार : स.क्र. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 004656एस

(अरुंधती भट्टाचार्य
अध्यक्ष

(पी. प्रदीप कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(कारपोरेट बैंकिंग)

(ए. कृष्णकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

कोलकाता
दिनांक: 23 मई 2014

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	189062,44,04	167976,13,88
अन्य आय	14	37882,12,60	32583,69,78
योग		**226944,56,64**	**200559,83,66**
II. व्यय			
दिया गया ब्याज	15	121479,04,34	106817,91,29
परिचालन व्यय	16	63368,73,77	52819,79,73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		27607,31,21	22599,13,28
योग		**212455,09,32**	**182236,84,30**
III. लाभ			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगीयों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व		14489,47,32	18322,99,36
जोड़े : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		317,73,35	231,67,78
घटाएँ : अल्पांश हित		633,43,17	638,44,03
समूह के लिए निवल लाभ		14173,77,50	17916,23,11
आगे लाया गया शेष		1422,53,94	892,74,17
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**15596,31,44**	**18808,97,28**
विनियोजन			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण		4097,28,24	5371,44,24
अन्य आरक्षितियों को अंतरण		6849,72,56	8695,52,63
प्रस्तावित लाभांश		1,45	-
लाभांश पर कर			
(i) हंगामी		1119,85,96	-
(ii) आय		1119,85,96	2838,74,09
लाभांश पर कर		377,20,12	480,72,38
अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है		2032,37,15	1422,53,94
योग		**15596,31,44**	**18808,97,28**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 204.00	₹ 266.82
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय		₹ 204.00	₹ 266.82
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस. वैंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार

(जी. नारायण स्वामी)
भागीदार : स.क्र. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 004656एस

(अरुंधती भट्टाचार्य
अध्यक्ष

(पी. प्रदीप कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(कारपोरेट बैंकिंग)

(ए. कृष्णकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

कोलकाता
दिनांक: 23 मई 2014

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1- पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी		
10 प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000)each	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी :		
10 प्रति शेयर दर वाले 74,66,56,167 10 शेयर (पिछले वर्ष 68,41,17,046)	746,65,61	684,11,70
अभिदत्त और संदत्त पूंजी		
10 प्रति शेयर दर वाले 74,65,73,092 10 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 68,40,33,971)	746,57,31	684,03,40
(उपर्युक्त में 1,58,73,554 (पिछले वर्ष 1,65,21,526) इक्विटी शेयर सम्मिलित है, जो 79,36,777 (पिछले वर्ष 82,60,763) वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के रूप में हैं		
योग	**746,57,31**	**684,03,40**

अनुसूची 2- आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	48821,44,55		43449,97,27	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4097,28,24		5371,47,28	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	33,63,35	52885,09,44	-	48821,44,55
II. पूंजी आरक्षित निधियों #				
अथशेष	2213,06,84		2125,44,35	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	292,76,10		87,62,49	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5,33,99	2500,48,95	-	2213,06,84
III. शेयर प्रीमियम				
अथशेष	31501,19,81		28513,84,58	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	9969,10,90		2991,08,00	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	25,62,11	41444,68,60	3,72,77	31501,19,81
IV. विदेशी मुद्रा रुपांतरण आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	4014,33,11		2845,50,56	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2745,36,88		1168,82,55	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	6759,69,99	-	4014,33,11
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ				
अथशेष	36376,40,52		27731,45,92	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6713,92,18		8682,21,22	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2088,70,53	41001,62,17	37,26,62	36376,40,52
VI. लाभ और हानि खाते की शेष राशि		2032,37,15		1422,53,94
लाभ	**146623,96,30**		**124348,98,77**	

\# इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹ 139,10,45 हजार (पिछले वर्ष ₹ 139,23,28 हजार)

\## समेकन समायोजनों को घटाकर

अनुसूची 3- जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. माँग जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	6955,65,38	8201,96,41
(ii) अन्यों से	133990,18,85	127793,49,18
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	600847,75,93	527129,94,19
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	35590,60,70	29356,76,95
(ii) अन्यों से	1061468,14,79	934920,44,46
योग	**1838852,35,65**	**1627402,61,19**
ख. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	1737448,77,50	1540656,01,05
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	101403,58,15	86746,60,14
योग	**1838852,35,65**	**1627402,61,19**

अनुसूची 4- उधार राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	17292,63,00	16415,66,00
(ii) अन्य बैंक	2662,80,15	8434,78,11
(iii) अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	26481,13,18	17642,03,89
(iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3890,00,00	3890,00,00
(v) गौण ऋण एवं बांड	46961,61,20	45009,61,20
योग	**97288,17,53**	**91392,09,20**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ		
(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित	122676,84,67	108875,45,24
(ii) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3744,68,75	3392,81,25
(iii) गौण ऋण एवं बांड	50,00,00	62,84,00
योग	**126471,53,42**	**112331,10,49**
कुल योग (I & II)	**223759,70,95**	**203723,19,69**
ऊपर I और II सम्मिलित प्रतिभूत उधार	11613,32,53	12570,33,58

अनुसूची 5- अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	23548,35,60	24393,64,28
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	466,14,52	167,13,54
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2290,42,65	16384,11,49
IV. प्रोद्भुत ब्याज	20597,45,39	17778,02,18
V. आस्थागित कर देयताएँ (निवल)	3398,97,96	719,09,59
VI. बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ	56846,15,54	50216,61,30
VII. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित है)	73942,34,04	63037,25,50
योग	**181089,85,70**	**172695,87,88**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है)	14849,14,48	13569,34,83
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खातें में	99246,45,90	76004,68,28
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**114095,60,38**	**89574,03,11**

अनुसूची 7 - बैंकों मं जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खाते में	1026,89,51	700,22,10
(ख) अन्य जमा खातों में	15630,13,06	6059,57,08
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	4135,31,12	7211,71,57
ख) अन्य संस्थाओं में	100,48,66	700,00,00
योग	**20892,82,35**	**14671,50,75**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	11324,56,64	27157,14,31
(ii) अन्य जमा खातों में	3927,18,74	5345,93,68
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	16921,16,36	8479,10,75
योग	**32172,91,74**	**40982,18,74**
कुल योग (I व II)	**53065,74,09**	**55653,69,49**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	436289,66,81	391862,07,81
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3759,91,70	2871,56,85
(iii) शेयर	26319,05,18	24444,08,86
(iv) डिबेंचर और बांड	40786,62,95	30162,07,06
(v) सहयोगी	1967,24,65	1572,37,89
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियाँ आदि)	44817,68,74	46895,92,91
योग	**553940,20,03**	**497808,11,38**
II. भारत के बाहर निवेश:		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित है)	5690,15,04	4569,27,23
(ii) सहयोगी	78,88,78	70,69,84
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर आदि)	19083,84,76	16895,33,94
योग	**24852,88,58**	**21535,31,01**
कुल योग (I एवं II)	**578793,08,61**	**519343,42,39**
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	555014,33,20	498872,60,32
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	1074,13,17	1064,48,94
(iii) निवल निवेश (ऊपर I से)	**553940,20,03**	**497808,11,38**
IV. भारत के बाहर निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	25766,10,47	21918,59,03
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	913,21,89	383,28,02
(iii) निवल निवेश (ऊपर II से)	**24852,88,58**	**21535,31,01**
कुल योग (III एवं IV)	**578793,08,61**	**519343,42,39**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. (i) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	91517,31,35	102044,39,37
(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	683760,56,46	615349,13,44
(iii) सावधि ऋण	802998,80,79	675214,50,52
योग	**1578276,68,60**	**1392608,03,33**
ख. (i) मूर्त अस्तियों द्वारा प्रतिभूत	1280360,65,69	1071886,44,08
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियाँ द्वारा संरक्षित	63952,71,71	100582,82,89
(iii) अप्रतिभूत	233963,31,20	220138,76,36
योग	**1578276,68,60**	**1392608,03,33**
ग. (I) **भारत में अग्रिम**		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	406748,82,39	375962,79,00
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	93966,45,02	73636,90,26
(iii) बैंक	2357,09,12	892,64,87
(iv) अन्य	853186,41,69	765498,22,60
योग	**1356258,78,22**	**1215990,56,73**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	47709,25,29	32972,34,89
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	11805,57,98	21229,56,72
(ख) सिंडीकेट ऋण	86829,50,40	58531,61,40
(ग) अन्य	75673,56,71	63883,93,59
योग	**222017,90,38**	**176617,46,60**
कुल योग [ग (I एवं ग (II)]	**1578276,68,60**	**1392608,03,33**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	3790,01,43		3049,04,67	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	587,53,74		743,84,48	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	49,06,57		2,87,72	
अद्यतन मूल्यह्रास	1302,39,62	3026,08,98	1171,88,75	2618,12,68
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित है)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	17934,14,11		15564,28,36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3600,44,81		3053,14,77	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	710,20,86		683,29,02	
अद्यतन मूल्यह्रास	13646,54,03	7177,84,03	11881,71,46	6052,42,65
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	910,06,68		917,80,50	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,78,47		12,30,01	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	549,94,30		20,03,83	
प्रावधान सहित अद्यतन मूल्यह्रास	338,62,60		882,62,21	
	23,28,25		27,44,47	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	4,70,45	18,57,80	4,50,18	22,94,29
IV. निर्माणाधीन आस्तियाँ		337,27,29		676,42,94
योग		**10559,78,10**		**9369,92,56**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1349,05,72	1335,13,92
(ii) प्रोद्भुत ब्याज	19447,20,53	16750,54,58
(iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर	13857,90,18	7246,74,38
(iv) लेखन सामग्री और स्टांप	148,07,48	125,23,07
(v) दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	25,86,21	29,58,53
(vi) आस्थागित कर अस्तियाँ (निवल)	425,59,10	594,29,46
(vii) अन्य #	25937,01,98	40477,92,21
योग	**61190,71,20**	**66559,46,15**

समेकन आधार पर साख ₹728,55,26 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹728,64,93 हजार)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	15987,93,15	8866,77,44
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	4,29,55	6,13,51
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	669552,27,69	548862,16,67
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	129416,15,78	117565,83,83
(b) भारत के बाहर	75524,66,13	81047,16,27
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	149365,05,83	149889,00,38
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	132715,30,32	150246,67,92
योग	**1172565,68,45**	**1056483,76,02**
संग्रहण के लिए बिल	**90196,99,38**	**80201,66,95**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	141382,60,20	126442,17,69
II. निवेशों पर आय	44855,68,41	38701,23,25
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1144,71,07	1338,70,42
IV. अन्य	1679,44,36	1494,02,52
योग	**189062,44,04**	**167976,13,88**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	15086,59,59	13861,89,39
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि) (निवल)	4254,27,38	2861,82,55
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) (निवल)	1882,38,03	594,91,28
IV. पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और आस्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	(46,23,72)	(40,53,82)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ/(हानि) (निवल)	2297,23,02	1902,59,26
VI. भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	2,28,75	12,86,75
VII. वित्तीय पट्टे से आय	2,57,65	61,25
VIII. क्रेडिट पट्टे से आय	575,22,01	400,66,84
IX. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	10672,75,58	10415,77,26
X. विविध आय	3155,04,31	2573,09,02
योग	**37882,12,60**	**32583,69,78**

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	109113,09,22	96302,48,84
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	6126,95,06	4736,59,97
III. अन्य	6239,00,06	5778,82,48
योग	**121479,04,34**	**106817,91,29**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	29868,35,94	24401,09,07
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3940,37,28	3252,70,34
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	471,13,20	419,33,83
IV. विज्ञापन और प्रचार	609,53,95	643,67,08
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	6,01,33	4,66,19
(ख) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1936,41,20	1572,83,04
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	6,55,27	7,55,97
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित))	253,76,30	186,76,13
VIII. विधि प्रभार	315,85,95	248,83,62
IX. डाक, व्यय, तार और टेलीफोन आदि	869,16,22	682,63,85
X. मरम्मत आर अनुरक्षण	591,75,80	530,12,53
XI. बीमा	1981,23,84	1596,69,48
XII. आस्थागित आय व्यय का परिशोधन	92,17,84	78,86,98
XIII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित	381,79,64	319,08,12
XIV. अन्य परिचालन व्यय-बीमा व्यवसाय से संबंधित	15839,61,53	13450,63,98
XV. अन्य आय	6204,98,48	5424,29,52
योग	**63368,73,77**	**52819,79,73**

अनुसूची 17

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं। इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन 1996 कंपनी अधिनियम, 1959 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित है) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार :

1. समूह **(जिसमें 29 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 22 सहयोगी शामिल हैं)** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा ''समेकित वित्तीय विवरणों'' के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरुप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार 'समानुपातिक समेकन' किया गया है।

   घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति' के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है :

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी राशि और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंध में स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :

1. राजस्व निर्धारण

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है; (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित जिसे नकदी आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है। तथापि परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाने के बाद) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे की बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिवेश के समान राशि को आई सीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में

निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है:

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जो कि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेंज फीस जो कि प्रोद्भवन आधार पर मान्य होते हैं, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभाजित की जाती है को छोड़कर, अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय को वसूली के बाद मान्य किया गया है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बांड जारी करने/जमाराशियों के संबंध में भुगतान/वहन की गई दलाली, कमीशन आदि संबंधित बांडों/जमाराशियों की अवधि के लिए परिशोधित किए गए हैं और निर्गम के संबंध में वहन किए गए खर्च प्रारंभ में ही शामिल कर लिए गए हैं।

1.10 एनपीए की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार लेखे में ली गई है :

(i) बैंक जब भी अपनी वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री करता है तो इसे बहियों से हटा दिया जाता है।

(ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात प्रावधान घटाने के बाद बही मूल्य) से कम मूल्य पर की जाती है, तो मूल्य में कमी की राशि बिक्री वर्ष के लाभ और हानि खाते को नामे कर दी जाती है।

(iii) यदि यह बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर हो तो अतिरिक्त प्रावधान राशि-प्राप्ति के वर्ष में रिवर्स कर दिए जाते हैं, जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयों

मर्चंट बैंकिंग :

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. प्रबंधन शुल्क प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत पर प्रोद्भवन आधार पर लगाया गया है। फीस पर खर्च संबंधित योजनाओं के योजना जानकारी दस्तावेज के अनुसार किया जाता है और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियमन 1996 तथा इसमें समय -समय पर किए गए संशोधनों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवा और संविभाग प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।

घ. निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

ड. योजना व्यय : निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल फंड/ विनियमन, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. ब्याज और ब्याज सहायता आय ऋण - अवधि के लिए लेखे में शामिल की गई है।

घ. सभी अन्य आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवा कर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय उस तारीख से आय के रूप में ली जाती है जिस तारीख से पॉलिसी लेखा मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनप्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. संबद्ध निधियों से आय; जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल है; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए हैं।

ग. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

घ. दिए गए लाभ

- जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने का प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकरण होने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ड. कमीशन जैसे अभिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अभिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

च. **बीमा पालिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना - बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा इंस्टीटयूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों और/बीमांकिक व्यवहार मानक (एपीएस) के अनुसार - नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यन यूएलआयपी व्यवसाय की मूल्यन पद्धति के अनुरूप भी किया जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रीमियम बहियों में जोखिम प्रारंभ होने पर दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किस्त की राशि किस्त की नियत तारीख को दर्ज की जाती है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होनेवाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।

ङ अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो अलग अलग और मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं संबद्ध सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आइएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन : म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस प्रतिपक्षों के बीच निष्पादित संबंधित न्यासी विलेखों के अनुरूप उपचय आधार पर और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं में शामिल की गई है।

कारपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की एक्सेप्टेंस पर शामिल की गई है। कारपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा शुल्क ग्राहकों के साथ निष्पादित ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के आधार पर शामिल की गई है।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 'सेटलमेंट डेट' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर निवेश 'क्रय-विक्रय तिथि' को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को 3 श्रेणियों यथा - 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन निवेशों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन निवेशों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक निवेश को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'व्यवसाय के लिए रखे गए' या 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्य-निर्धारण :

क. बैंकिंग व्यवसाय

i किसी निवेश की अभिग्रहण लागत का निर्धारण करने में

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेशों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले

आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है । अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है।

iii ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणीः 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी-बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँः एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।

vi प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक हो, के अनुसार किया गया है।

viii. रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण :

अ) रिपो/रिवर्स रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। तथापि, एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ब) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा

(एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे /जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में निवेश बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन-

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट बढ़ने के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।

- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई ('बीएसई') पर बाजार बंद होने के समय उद्धृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत आधार पर आकलन किया जाता है।

- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।

  शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य

  आरक्षितियाँ (अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)'' क्रमशः तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('क्रिसिल') से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरीवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है।

- सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है।

- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।

- ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता 'असंगत' ('आउट आफ आर्डर') रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते है।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	(i) कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान (ii) ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है) (iii) इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ :	
-प्रतिभूत भाग :	एक वर्ष तक - 25%
	एक से तीन वर्ष तक - 40%
	तीन वर्ष से अधिक - 100%
अप्रतिभूत भाग	100%
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप दिए गए पुनर्संरचित के पहले एवं बाद के उचित मूल्य की राशि अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। उपरोक्त आस्तियों से उद्भूत उत्सर्जित ब्याज एवं उचित मूल्य में कमी के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के 'अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं और निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित और ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के 'अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से 'उचंत खाता कुल प्राप्य' में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से 'उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम' में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन :

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास/परिशोधन से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	सीधी कटौती पद्धति	अधिग्रहण वर्ष में 100%
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अंतर्गत निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम को, यदि हो, तो पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की अंतिम तत्काल/वायदा दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 **विदेशी परिचालन**

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेश स्थित कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं की विदेशी मुद्रा (विदेश स्थित कार्यालयों

की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को उस देश में प्रयोज्य तत्काल दरों का प्रयोग करके स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन :

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

i) नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. समूह, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो सेवा नियमावली में निर्धारित उच्चतम सीमा है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है।

यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबन्धित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा और इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों और इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर

समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क) समूह के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वसन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बंधित देशों के स्थानीय विधियों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है ।

12. आय पर कर :

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है , ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर भुगतान मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू नियमों के अनुसार दिखाई गई कर भुगतान की कुल राशियां हैं।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर 'मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया है, तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है।

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि:-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. बुलियन लेनदेन

बैंक अपने ग्राहकों को बिक्री करने के लिए बुलियन आयात परेषण आधार पर करता है जिसमें बहुमूल्य धातु बार भी शामिल हैं। आयात पूर्णतया बैक टू बैक आधार पर किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत इस मूल्य के आधार पर ग्राहकों के लिए इसका मूल्य निर्धारित किया जाता हैं। बैंक इस थोक बुलियन लेनदेन पर फीस अर्जित करता है। इस फीस को कमीशन आय की श्रेणी में रखा गया है। बैंक सोना जमा भी रखता है और उधार भी देता है। इन्हें यथास्थिति जमाराशियाँ/अग्रिम माना जाता है और दिए गए/प्राप्त ब्याज को दिए गए ब्याज/आय की श्रेणी में रखा जाता है।

16 विशेष रिज़र्व :

आय और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1965 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व सम्मिलित हैं। निदेशक बेर्ड ने एक संकल्प पारित करके रिज़र्व सृजन हेतु अनुमोदन किया है। उन्होंने इस बात की पृष्टि की है कि विशेष रिज़र्व हटाने की उनकी कोई मंशा नहीं हैं।

17. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियाँ:

(राशि करोड़ रुपये में)

उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 इस समय निम्नांकित 29 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 22 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय जिसमें 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष के दौरान उनके विजय / बहिर्गमन की संबंधित तारीख से तक सम्मिलित है। :

क. अनुषंगियां **समूह का हिस्सा (%)**

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	90.00	92.33
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01	75.01
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.56	71.56
11	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
12	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
13	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लिमिटेड	भारत	92.60	92.60
14	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
15	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
16	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00	100.00
18	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
19	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.36	93.40
20	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	76.00
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लि.	बोसवाना	100.00	-
22	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
23	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड@	भारत	60.00	60.00
24	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
25	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00	74.00
26	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को@#	रूस	60.00	60.00
27	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.28	55.28
28	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.@	मॉरीशस	63.00	63.00
29	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

इसके पहले 19 जनवरी 2014 तक कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी कहलाता था।

ख) संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुदा	45.00	45.00
7	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग. सहयोगी

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन देश	समूह का हिस्सा (%) चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6	कृष्णा ग्रामीण बैंक (22.08.2013 तक)	भारत	35.00	35.00
7	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
8	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
11	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
16	मरूधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
17	डेक्कन ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
18	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	31.50	32.32
19	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
20	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	भारत	29.22	29.22
21	बैंक आफ भूटान लि.	भारत	20.00	20.00
22	एसबीआई होम फाईनैंस लि. (परिसमापनाधीन	भारत	25.05	25.05

क. सार्वजनिक शेयरधारिता पर प्रतिभूर्ति संविदा विनिमय (संशोधन) नियम, 2010 के अनुपालन में स्टेट बैंक आफ मैसूर (एसबीएम) द्वारा संस्थागत निवेश कार्यक्रम (आईपीपी) के अंतर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदारों को 12,13,630 इक्विटी शेयर जारी किए गए। इस कारण एसबीआई का एसबीएम में हितधारिता 92.33% से घटकर 90% रह गई और सार्वजनिक शेयरधारिता 10% बढ़ गई। एसबीआई डीएफएचआई लि. और कावेरी ग्रामीण बैंक में समूह कही हितधारिता क्रमश: अप्रत्यक्ष पद्धति अपनाए जाने के कारण 71.56% से घटकर 71.54% और 32.32% से घटकर 31.50% रह गई।

ख. वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने:

(i) एक पूर्ण स्वामित्व वाली) अनुषंगी स्टेट बैंक इंडिया (बोत्सवाना) लि. को निगमित किया और ₹47.37 करोड़ के समतुल्य पूंजी-निवेश किया।

(ii) अपनी अनुषंगी पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया में ₹258 करोड़ का निवेश करके 23% अतिरिक्त हितधारिता अधिगृहीत की। इसके बाद एसबीआई की हितधारिता बढ़कर 99% हो गई। इसके अतिरिक्त पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में ₹157.27 करोड़ की अतिरिक्त राशि का निवेश किया।

(iii) अपनी अनुषंगी एसबीआई (मारीशस) लि. में ₹24.42 करोड़ का निवेश करके 2.96% की अतिरिक्त हितधारिता अधिगृहित की। इसके बाद एसबीआई की हितधारिता बढ़कर 96.36% हो गई।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृष्णा ग्रामीण बैंक में ₹6.92 करोड़ के कुल मूल्य की अपनी हितधरिता कम की।

ग. वर्ष के दौरान एसबीआई ने और देश में स्थित इसकी बैंकिंग अनुषंगियों ने उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निम्नानुसार अतिरिक्त पूंजी निवेश किया :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि	हितधारिता में वृद्धि का %
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	31.56	निरंक
मिजोरम ग्रामीण बैंक	6.53	निरंक
पूर्वांचल बैंक	11.73	निरंक
मरूधरा ग्रामीण बैंक	19.18	निरंक
योग	**69.00**	

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एसबीआई और इसकी देश में स्थित बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच निम्नलिखित समामेलन हुए:-

उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का ब्योरा निम्नानुसार है; जिनमें अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसबीआई और देश में स्थित उसकी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित हैं:-

क्र. सं.	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बाद नया नाम	अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक	समामेलन की प्रभावी तिथि
1	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक बालिया ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	पूर्वांचल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	1 अप्रैल 2013
2	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक देना बैंक	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	2 सितंबर 2013

उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का ब्योरा निम्नानुसार है जिनमे अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसबीआई और देश में स्थित उसकी बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा प्रायोजित हैं:

क्र. सं.	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बाद नया नाम	अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक	समामेलन की प्रभावी तिथि
1	प्रगती ग्रामीण बैंक कृष्णा ग्रामीण बैंक	कैनरा बैंक भारतीय स्टेट बैंक	प्रगती कृष्णा ग्राम्य बैंक	कैनरा बैंक	23 अगस्त 2013

1.2 समूह के वित्त वर्ष 2013-14 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाड़ा) एक अनुषंगी और बैंक ऑफ भूटान लि; एक सहयोगी के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. शेयर पूंजी :

2.1 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रति शेयर ₹10/- मूल्य के 1,12,18,685 शेयर, ₹1772.74 प्रति ईक्विटी शेयर के नकद प्रीमियम पर कुल ₹2,000/- करोड़ में भारत सरकार को अधिमानी आबंटन के अंतर्गत आबंटित किए। भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹2,000/- करोड़ में से ₹11.22 करोड़ की राशि शेयर कैपिटल खाते में तथा शेष ₹1,988.78 करोड़ की शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।

2.2 एसबीआई ने अर्हता प्राप्त संस्था निवेश के अंतर्गत ₹10 प्रति शेयर मूल्य के ₹5,13,20, इक्विटी शेयर भी ₹1,555 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम पर ₹8,031.65 के करोड़ के कुल शेयर आबंटित किए। अर्हताप्राप्त संस्था निवेश (क्यूआईपी) के माध्यम से प्राप्त कुल राशि में से ₹51.32 करोड़ की राशि शेयर कैपिटल और ₹7,980.33 करोड़ की राशि शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।

2.3 एसबीआई ने राइट्स इश्यू के एक भाग के रूप में जारी प्रति ₹10/-के 83,075 (पिछले वर्ष 83,075) ईक्विटी शेयरों का आबंटन रोककर रखा है, क्योंकि इनके हक विवाद या न्यायिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं।

2.4 ₹25.62 (पिछले वर्ष 3.73 करोड़) के शेयर निर्गम संबंधी खर्च शेयर प्रीमियम खाते के नामे किए।

3. कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएं

3.1.1.1 कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजनाएं

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	50,109.94	45,956.37	9,287.23	8,514
वर्तमान सेवा लागत	1,377.26	1,501.20	269.73	322.54
ब्याज लागत				
पिछली सेवा लागत	4,300.42	4,002.80	780.71	722.16
(निहित हित लाभ)				
बीमांकिक हानियां/ (लाभ)	निरंक	निरंक	0.06	निरंक
प्रदत्त हितलाभ	4,498.58	1,438.89	(117.85)	524.97
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(718.94)	(556.85)	(1,042.90)	(796.75)
	(2704.21)	(2232.47)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2014 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**56,863.05**	**50,109.94**	**9,176.98**	**9,287.23**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2013 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	44,715.33	35,877.71	8,595.25	7,153.07
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,903.23	3,082.04	703.92	608.73
अंशदान	5,079.95	5,737.17	942.51	1,547.54
प्रदत्त हितलाभ	(718.94)	(556.85)	(1,042.90)	(796.75)
योजना बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	164.25	575.26	7.55	82.66
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**53,143.82**	**44,715.33**	**9,206.33**	**8,595.25**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2014 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,863.05	50,109.94	9,176.98	9,287.23
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	53,143.82	44,175.33	9,206.33	8,595.25
कमी/ (अधिशेष)	3,719.23	5,394.61	(29.35)	691.98
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	187.10	374.19	51.59	303.18
निवल देयता/(आस्ति)	**3,532.13**	**5,020.42**	**(80.94)**	**388.80**
तुलन पत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	56,863.05	50,109.94	9,176.98	9,287.23
आस्तियाँ	53,143.82	44,715.33	9,206.33	8,595.25
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	3,719.23	5,394.61	(29.35)	691.98
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	187.10	374.19	51.59	303.18
निवल देयता/(आस्ति)	**3,532.13**	**5,020.42**	**(80.94)**	**388.80**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,377.26	1,501.20	269.73	322.54
ब्याज लागत	4,300.42	4,002.80	780.71	722.16
योजना- आस्तियाँ पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(3,903.23)	(3,082.04)	(703.92)	(608.73)
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	187.09	187.10	251.59	151.59
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक लाभ /(हानियां)	4,334.33	863.63	(125.40)	442.31
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**6,295.87**	**3,472.69**	**472.71**	**1,029.87**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,903.23	3,082.04	703.92	608.73
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / हानि)	164.25	575.26	7.55	82.66
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	4,067.48	3,657.30	711.47	691.39
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2013 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	5,020.42	9,233.55	388.80	854.05
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	6,295.87	3,472.69	472.71	1,029.87
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(2,704.21)	(2,232.47)	निरंक	निरंक
नियोक्ताओं का अंशदान	(5,079.95)	(5,737.17)	(942.51)	(1,547.54)
पिछली सेवा लागत	निरंक	283.82	0.06	52.42
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	3,532.13	5,020.42	(80.94)	388.80

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	29.79%	23.03%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.73%	17.42%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	41.21%	34.41%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	0.35%	22.79%
अन्य	3.92%	2.35%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.75% to 9.27%	8.06% to 8.50%	8.75% to 9.31%	8.24% to 8.50%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.75% to 9.27%	7.50% to 9.00%	8.75% to 9.31%	7.50% to 8.75%
वेतन वृद्धि	5.00% to 5.00%	3.50% to 5.60%	5.00% to 5.00%	3.50% to 5.60%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि न्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकित मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार "शून्य" देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2013-14 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीकांकक द्वारा किए गए बीमांकित मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	20,742.83	19482.46
वर्तमान सेवा लागत	529.53	529.97
ब्याज लागत	1,838.65	1593.27
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	656.87	654.91
बीमांकिक हानियां / (लाभ)	-	784.39
प्रदत्त हितलाभ	(1,963.49)	2,302.17
31 मार्च 2014 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**21,804.39**	**20,742.83**
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2013 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	21,223.41	19729.16
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,838.65	1593.27
अंशदान	1,186.40	1184.88
प्रदत्त हितलाभ	(1,963.49)	(2,302.17)
योजना बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	81.45	1,018.27
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**22,366.42**	**21,223.41**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2014 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,804.39	20,742.83
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	22,366.42	21,223.41
कमी/ (अधिशेष)	(562.03)	(480.58)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	562.03	480.58

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ एवं हानि खाते में ली गई निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	529.53	529.97
ब्याज लागत	1,838.65	1,593.27
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1,838.65)	(1,593.27)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	**529.53**	**529.97**
	1,838.65	1593.27
तुलन पत्र में ली गई प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तअनुसार व्यय	529.53	529.97
नियोक्ता का अंशदान	(529.53)	(529.97)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता / (आस्ति)	-	-

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	38.97%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.63%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	41.08%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	-
अन्य	3.32%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन:

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	9.35%	8.50%
निश्चित प्रतिलाभ	8.75%	8.25%
पलायन दर	2.00%	2.00%

3.1.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 31.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹26.68 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.1.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल है) के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखाकार अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹160.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹98.97 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹19.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹885.99 करोड़) की राशि (-) (प्रतिलेखन) प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण ;

₹ करोड़ में

क्रम सं	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित अवकाश (नकदीकरण)-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण भी इसमें शामिल है	448.98	704.49
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	7.00	79.03
3	रुग्ण अवकाश	(385.64)	14.64
4	रजत जंयती अवार्ड/दीर्घावधि सेवा अवार्ड	(11.14)	43.79
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	1.07	5.51
6	आकस्मिक अवकाश	(82.55)	17.89
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	2.72	20.63
योग		**(19.56)**	**885.98**

रुग्ण अवकाश और आकस्मिक अवकाश के लिए प्रावधान का आकलन पिछले अवधिगत रुझान को ध्यान में रखकर बीमांकिक मूल्यन के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 'निरंक' के रूप में किया गया है। तद्नुसार, ₹474.97 करोड़ का वर्तमान प्रावधान वर्ष के दौरान रिवर्स किया गया।

3.1.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.1.5 अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी

3.1.5.1 ग्रेच्युटी

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष से शुरू करके 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि किए जाने के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तद्नुसार, समूह द्वारा ₹112.24 करोड़ की राशि 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की समानुपातिक राशि के रूप में लाभ एवं हानि खाते में दिखायी गयी है। तथापि, चालू वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक ने शामिल नहीं की गई सम्पूर्ण शेष देयता राशि के लिए प्रावधान करने का निर्णय लिया है और तदनुसार, भा. स्टेट बैंक ने 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹200 करोड़ को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया है। 31 मार्च 2014 को ₹110.19 करोड़ की अपरिशोधित देयता उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार समानुपात में परिशोधित की जाएगी।

3.1.5.2 पेंशन

देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष में दिए गए पेंशन विकल्प के संबंध में वित्त 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹360.47 करोड़ की राशि दिखाई है। यह पेंशन विकल्प उन कर्मचारियों को दिया गया है जिन्होंने पूर्ववर्ती पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था और इसकी राशि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष से शुरू करके 5 वर्षों में परिशोधित की जा रही है। ₹359.93 करोड़ की शेष राशि उक्त परिपत्र में दिए गए निदेशों के अनुसार समानुपात में दिखाई जाएगी।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) **कोष:** कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) **कारपोरेट / थोक बैंकिंग:** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर- कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह

की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) **बीमा व्यवसाय:** बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल है।

ङ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय:** ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

क) **देशी परिचालन के अंतर्गत** - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) **विदेशी परिचालन के अंतर्गत** - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) **अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति- सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) **आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:**

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें ''अनाबंटित व्यय'' के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
आय	42,418.29 (33,722.31)	73,300.30 (65,688.06)	89,329.62 (82,613.11)	18,066.15 (15,264.65)	3,388.22 (2,798.89)		2,26,502.58 (2,00,087.02)
अनाबंटित आय							441.98 (472.81)
कुल आय							2,26,944.56 (2,00,559.83)
परिणाम	847.54 (3,909.10)	4,945.83 (10,440.31)	18,007.47 (14,161.86)	718.43 (560.15)	948.79 (900.09)		25,468.06 (29,971.51)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (–) निवल							-4,142.52 (-4,089.70)
परिचालन लाभ (पीबीटी)							21,325.54 (25,881.81)
कर							6,836.07 (7,558.82)
असाधारण लाभ/हानि							(-) (-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व							14,489.47 (18,322.99)

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी							317.73 (231.68)
घटाएँ : अल्पांश हित							633.43 (638.44)
निवल लाभ समूह के लिए							14,173.77 (17,916.23)
अन्य सूचना :							
खंड आस्तियाँ	5,45,105.61 (4,78,698.21)	9,44,851.52 (8,16,405.69)	8,12,863.85 (7,52,700.48)	62,451.99 (54,933.15)	10,975.68 (10,473.87)		23,76,248.65 (21,13,211.40)
अनाबंटित आस्तियाँ							19,732.96 (19,897.17)
कुल आस्तियाँ							23,95,981.61 (21,33,108.57)
खंड देयताएँ	2,64,556.11 (2,72,060.80)	8,16,172.78 (6,69,288.50)	10,33,771.53 (9,45,349.62)	58,592.60 (51,845.39)	7,239.78 (7,158.39)		21,80,332.80 (19,45,702.70)
अनाबंटित देयताएँ							68,278.28 (62,372.85)
कुल देयताएँ							22,48,611.08 (20,08,075.55)

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड ₹ करोड़ में

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	2,16,975.27 (1,91,233.82)	9,969.29 (9,326.01)	2,26,944.56 (2,00,559.83)
परिणाम	22,136.04 (26,485.50)	3,332.02 (3,486.01)	25,468.06 (29,971.51)
आस्तियाँ	21,08,607.32 (18,86,124.68)	2,87,374.29 (2,46,983.89)	23,95,981.61 (21,33,108.57)
देयताएँ	19,64,601.69 (17,63,888.25)	2,84,009.39 (2,44,187.30)	22,48,611.08 (20,08,075.55)

i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2014 का है।

ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

3.3.1 समूह से संबंधित पक्ष: क) संयुक्त उद्यम:

1. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
4. डेक्कन ग्रामीणा बैंक
5. इलाकाई देहाती बैंक
6. कावेरी ग्रामीण बैंक
7. कृष्णा ग्रामीण बैंक (22.08.2013 तक)
8. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
9. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
10. मालवा ग्रामीण बैंक
11. मरूधरा ग्रामीण बैंक
12. मेघालय रूरल बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
16. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
17. उत्कल ग्रामीण बैंक
18. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
19. वनांचल ग्रामीण बैंक

ii) **अन्य**

20. दि क्लिअरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
21. बैंक आफ भूटान लि.
22. एस बी आई होम फाइनैंस लि.

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष (30.09.2013)
2. श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य, अध्यक्ष (07.10.2013 से)
3. श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर,
   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)
4. श्री ए. कृष्ण कुमार,
   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)
5. श्री दिवाकर गुप्ता,
   प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (31.07.2013 तक)
6. श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य,
   प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (02.08.2013 से 06.10.2013 तक)
7. श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
   (सहयोगी एव अनुषंगियाँ)
8. श्री. पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक
   कारपोरेट बैंकिंग) (27.12.2013 से)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.3.3 लेनदेन और शेष राशियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2013-14 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज $	0.02 (-)	- (-)	0.02 (-)
प्रदत्त ब्याज $	4.00 (1.06)	- (-)	4.00 (1.06)
लाभांश के रूप में अर्जित आय $	12.24 (15.22)	- (-)	12.24 (15.22)
अन्य आय $	3.50 (21.24)	- (-)	3.50 (21.24)
अन्य व्यय $	9.01 (231.22)	- (-)	9.01 (231.22)
प्रबंधन संविदा $	267.08 (227.98)	1.08 (0.95)	268.16 (228.93)
31 मार्च 2014 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा #	95.40 (150.03)	- (-)	95.40 (150.03)
अन्य देयताएं #	16.32 (13.16)	- (-)	16.32 (13.16)
प्राप्य राशियाँ			
निवेश #	41.55 (41.55)	- (-)	41.55 (41.55)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
अग्रिम #	- (-)	- (-)	- (-)
अन्य आस्तियाँ	0.30 (0.18)	- (-)	0.30 (0.18)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष

$ वर्ष के लेनदेन

ये वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं ।

3.4 पट्टे : वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	5.68	4.69
1 से 5 वर्ष तक	9.11	12.73
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**14.79**	**17.42**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	1.49	1.51
1 से 5 वर्ष तक	1.09	2.16
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**2.58**	**3.67**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	4.19	3.18
1 से 5 वर्ष तक	8.02	10.57
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**12.21**	**13.75**

परिचालन पट्टा*

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	209.55	192.38
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	608.53	575.01
5 वर्ष से अधिक	157.73	171.25
कुल	**975.81**	**938.64**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	235.15	211.24

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं।

जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

* केवल रद्द नहीं होने वाले पट्टों के संबंध में

3.5 **प्रति शेयर उपार्जन:**

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात् निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	68,40,33,971	67,10,44,838
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की सं.	6,25,39,121	1,29,89,133
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की सं.	74,65,73,092	68,40,33,971
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की सं.	69,47,83,910	67,14,72,052
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	69,47,83,910	67,14,72,052
निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	14,173.77	17,916.23
मूल आय प्रति शेयर (₹)	204.00	266.82
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	204.00	266.82
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

3.6 **आय पर करों का लेखाकरण**

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹1,173.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹701.09 करोड़ नामे किए गए थे) लाभ और हानि खाते में जमा किए गए थे।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	364.66	128.03
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान #	1,632.72	2,474.34 #
पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	837.07	Nil
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	14.37	16.31
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	205.78	362.78
अन्य	845.85	588.12
योग	**3,900.45**	**3,569.58**

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	28.02	14.01
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3441.43	3,257.14
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधी	2541.06 $	निरंक
अन्य	863.33	423.23
योग	**6,873.84**	**3,694.38**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/देयता	(2973.39)	(124.80)

इसमें भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान राशि में से ₹922.15 करोड़ की आस्थगित कर जमा शामिल है।

$ इसमें आरबीआईके परिपत्र के अनुसार (आय और अन्य रिज़र्व से अंतरित ₹2,052,76 करोड़ की राशि शामिल है।

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) कराधान के लिए प्रावधान		
- वर्तमान कर	5,650.56	8,258.02
- आस्थगित कर	1,173.66	(701.09)
- अनुषंगी लाभ कर	-	(34.06)
- अन्य कर	11.85	35.96
ख) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	17,465.50	13,443.45
ग) पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	871.80	1,463.11
घ) मानक आस्तियों पर प्रावधान	1,568.87	1,090.71
ङ) विनिधानों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	876.27	(950.12)
च) अन्य प्रावधान	(11.20)	(6.85)
कुल	**27,607.31**	**22,599.13**

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख) अस्थिर प्रावधान:

₹करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	479.22	479.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	116.85	-
अंतिम शेष	**362.37**	**479.22**

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण (एएस-29):

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुन: समूह ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने के वायदे किए हैं।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय / न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

ङ) **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	अथशेष	495.06	482.82
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	116.68	92.81
ग)	वर्ष के दौरान आहरण में कमी	27.82	80.57
घ)	अंतिम शेष	**583.92**	**495.06**

4 जीवन बीमा और साधारण बीमा अनुषंगियों के विनिधान बैंकों द्वारा अनुपालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार फिर से शामिल न करके बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान विनियम) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। बीमा अनुषंगियों के विनिधान 31 मार्च 2014 को कुल विनिधान का लगभग 9.69% (पिछले वर्ष 9.33%) रहे।

5 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01. 02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हों) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

6 आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

7. **अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान**

वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने कतिपय अनर्जक देशीय अग्रिमों के संबंध में पिछले वर्षों (2011-12 एवं 2012-2013) के दौरान किए गए ₹2,056.26 करोड़ के विशिष्ट प्रावधान राशि के संबंध में किया है जिससे कि ऐसे अग्रिमों की संग्रहण योग्य राशि का उपयोग किया है जिससे के ऐसे अग्रिमों की संग्रहण योग्य राशि के संबंध में अनुमानित नुकसान के लिए प्रावधान किया जा सके।

8 **वेतन करार होने तक**

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से अखिल भारतीय कामगार संघों के साथ किया गया नौवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्तूबर 2012 को समाप्त हो गया। 01 नवंबर 2012 से लागू होने वाले वेतन संशोधन करार पर हस्ताक्षर होने तक भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देश में स्थित अनुषंगियों ने वर्ष के दौरान ₹923 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2353.27 करोड़ का प्रावधान किया है।

पिछले वर्ष उपर्युक्त देखते भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देश में स्थित अनुषंगियों ने (स्टेट बैंक आफ मैसूर को छोड़कर प्राक्कलन आधार पर अधिवार्षिता योजनाओं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹652.30 करोड़ का (पिछले वर्ष ₹264.93 करोड़ का) प्रावधान किया है।

9. **प्रति चक्रीय सुरक्षित राशि**

'अस्थायी प्रावधान/प्रति चक्रीय प्रावधान सुरक्षा राशि का उपयोग' से संबंधित भा.रि.बैंक ने परिपत्र क्र. डीबीओडी नं. बीपी 95/21.04.48/ 2013-14 दिनांक 7 फरवरी 2014 के अनुसार, बैंकों को 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा प्रावधान की गई प्रति चक्रीय प्रावधान सुरक्षा राशि (सीसीपीबी) के 33 प्रतिशत भाग तक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है जिससे वे बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सके। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने बोर्ड अनुमोदित नीति और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु (₹1,132 करोड़ की अधिकतम अनुमत सीमा, अर्थात ₹3,430 करोड़ की राशि जो 31 मार्च 2013 को शेष थी, के 33 प्रतिशत की तुलना में) ₹750 करोड़ की सीसीपीबी राशि का उपयोग किया।

10. लेखा नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव

10.1 लॉयल्टी रिवार्ड पाइंट का लेखाकरण

लॉयल्टी रिवार्ड पाइंट के देयता का लेखाकरण वास्तविक आधार पर ने करके बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया गया है। इस परिवर्तन के कारण एसबीआई के लाभ में 55.48 करोड़ की वृद्धि हुई है।

10.2 वर्ष के दौरान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का ही भाग होने के कारण उस पर मूल्यह्रास हासिल मूल्य पद्धति के अनुसार 60% न लेकर सीधी कटौती पद्धति आधार पर 33% लिया गया है ताकि यह वर्तमान दिशा-निर्देश के अनुभव रहे। इस परिवर्तन के कारण पिछली अवधि के अतिरिक्त मूल्यह्रास की राशि ₹7.75 करोड़ के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया और वर्ष का मूल्यह्रास पिछले वर्ष की तुलना में ₹32.34 करोड़ कम है। इस कारण अचल आस्तियों और कर पूर्व लाभ की राशि पिछले वर्ष की तुलना में ₹24.59 करोड़ अधिक है।

10.3 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम को आप के रूप में दिखाने की नीतिः इस वर्ष से विभिन्न बीमा उत्पादों (यथा फ्लेक्सी स्मार्ट, आजीवन पेन्शन) और आजीवन पेन्शन प्लस) के मामलें में प्रीमियम को आय के रूप में दिखाने की लेखा नीति से परिवर्तन किया गया है। पालिसी की राशि खाते में जमा होने पर ही उसे आय माना जाता है जबकि पूर्ववर्ती नीति में पालिसी नवीकरण की तारीख को ही उसे आय के रूप में शामिल कर लिया जाता था। इस परिवर्तन के कारण रिपोर्ट की गई प्रीमियम आय, कमीशन और देयताओं के मूल्य में परिवर्तन के चलते पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 94.65 करोड़ ₹3.28 करोड़ और ₹85.91 करोड़ की कमी आई।

11. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत बनाई गई विशेष आरक्षित निधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी क्र. बीपी. बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर 2013 के अनुसार सूचित किया है कि एक विवेकीय मामले के रूप में, विशेष आरक्षित निधि के संबंध में एक आस्थगित कर देयता (डीटीएल) सृजित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसने बैंकों को अनुमत किया है कि वे विशेष आरक्षित निधि के संबंध में डीटीएल के लिए प्रावधान की गई राशि का आरक्षित निधि से समायोजन करें और वर्ष 2013-14 से बनाई गई विशेष आरक्षित निधि के संबंध में डीटीएल के लिए प्रावधान की गई राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2013 को ₹6,039.30 के विशेष आरक्षित निधि के संबंध में डीटीएल का सृजन करने के लिए आरक्षित निधियों से ₹2,052.76 करोड़ की राशि का समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत बनाई गई विशेष आरक्षित निधि डीटीएल का सृजन करने के लिए ₹488.30 करोड़ की राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

(अरुंधती भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

पी. प्रदीप कुमार	(ए. कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक	प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(कारपोरेट बैंकिंग)	(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस. वैंकटराम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(जी. नारायण स्वामी)
भागीदार : स.क्र. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 004656एस

कोलकाता

दिनांक :23 मई 2014

भारतीय स्टेट बैंक
समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2014 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		21009,84,23	25475,05,21
समायोजन			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1942,42,53	1577,49,23
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		46,23,72	40,53,82
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		55,13,96	10,87,60
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर		(1882,38,03)	(594,91,28)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान		18337,29,64	14906,55,70
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		1568,87,36	1090,70,76
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		876,27,38	(944,45,39)
अन्य प्रावधान		(11,19,91)	(12,49,89)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश/आर्जित आय (विनिधान कार्यकलाप)		(317,73,35)	(231,67,78)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप)		(2,28,75)	(12,86,75)
पूंजी लिखतों पर		4776,41,04	4706,74,29
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थागित आय खर्च		92,17,84	78,86,98
उपयोग		**46491,07,66**	**46090,42,50**
समायोजन			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		211449,74,46	212713,21,08
उधार राशियों में वृद्धि/कमी		17745,13,77	45485,85,12
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		(58040,49,87)	(56539,44,79)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(204005,94,91)	(243844,38,49)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी		7507,23,38	24226,19,12
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		11031,39,62	642,31,59
उप योग		**32178,14,11**	**28774,16,13**
प्रदत्त कर		(12601,31,18)	(4442,36,90)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	**(क)**	**19576,82,93**	**24331,79,23**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि) कमी		(140,46,31)	(94,66,98)
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय		2,28,75	12,86,75
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(3178,51,79)	(3571,43,06)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	**ख)**	**(3316,69,35)**	**(3653,23,29)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि		10006,02,70	3000,34,14
पूंजी लिखतों का निर्गमन		2000,00,00	75,13,60
पूंजी लिखत प्रतिसंदाय		(60,50,00)	(42,20,00)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		(4776,41,04)	(4706,74,29)
संदत लाभांश उस पर कर सहित		(4508,37,72)	(2645,16,40)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(84,50,02)	(104,90,81)
वित्तीय कार्यकलाप से सृजित निवल नकदी	**(ग)**	**2576,23,92**	**(4423,53,76)**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	**(घ)**	**3097,24,37**	**1381,87,57**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**(क)+(ख)+(ग)+(घ)**	**21933,61,87**	**17636,89,75**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**145227,72,60**	**127590,82,85**
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**167161,34,47**	**145227,72,60**

(अरुंधती भट्टाचार्य)
अध्यक्ष

(पी. प्रदीप कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(कारपोरेट बैंकिंग)

(ए. कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

कृते एस. वैंकटराम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(जी. नारायण स्वामी)
भागीदार : स.क्र. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 004656एस

कोलकाता
दिनांक :23 मई 2014

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक,
कारपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मुंबई

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक) और इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (इस समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों में समाविष्ट हैं: (क) 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों (हमारे सहित) द्वारा लेखा-परीक्षा किए गए बैंक के लेखा-परीक्षित खाते जो 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹17,92,235 करोड़ की कुल आस्तियों, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के ₹1,54,904 करोड़ की कुल आय, ₹10,891 करोड़ का लाभ और ₹17,729 करोड़ की राशि का निवल नकदी प्रवाह दर्शाते हैं ; (ख) अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 28 (अट्ठाईस) अनुषंगियां, 8 (आठ) संयुक्त उद्यम और 21 (इक्कीस) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खाते, इनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹6,15,868 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹74,376 करोड़ की कुल आय में समूह का अंश, ₹2905 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाहों में समूह का अंश ₹310 करोड़ के सहयोगियों के लाभ में से समूह के अंश को दर्शाते हैं ; (ग) 1(एक) अनुषंगी और 1(एक) सहयोगी के अलेखा-परीक्षित खाते। इनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ₹3,360 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹553 करोड़ की राशि का निवल नकदी बहिर्वाह और ₹8 करोड़ के सहयोगियों के लाभ में से समूह के अंश को दर्शाते हैं। समूह की इकाइयां जिनके वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में समाविष्ट किए गए हैं, अनुसूची 18- लेखा टिप्पणियां; में सूचीबद्ध है – जो समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का भाग हैं।

3. हमने इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है। ये वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए हैं और जहां तक इसका अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल की गई राशि से संबंध है, हमारी राय केवल अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

4. हमने 1(एक) अनुषंगी और 1(एक) सहयोगी के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया है जिन्हें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन वर्ग जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21-''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखा मानक 23 – ''समेकित वित्तीय विवरण'' में सहयोगियों में निवेश से संबंधित लेखा और लेखा मानक 27 ''संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग की अपेक्षा, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की एक सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की इस जिम्मेदारी में इस समूह के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुपालन शामिल है जो एक सही एवं उचित स्थिति को प्रस्तुत करती है और विषय-वस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त है जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। उन जोखिमों का आकलन करने में इस समूह की अलग-अलग इकाइयों के प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों को कार्यान्वित किया है जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और अभिकल्पित कार्यविधि जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है, से संबंधित है जिससे आकलन इस समूह के सभी कार्यकलापों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा-मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

7. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। जांच के लिए चुनी गई पद्धतियों लेखा परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के आकलन पर आधारित होती है। इन जोखिम आकलनों की जांच करते समय लेखा-परीक्षक इस समूह की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जिससे ऐसी लेखा-परीक्षा कार्यविधियों की अभिकल्पना की जा सके जो परिस्थितियों के लिए उचित हो परंतु समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत समूह की इकाइयों के प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों तथा लेखा आकलनों के औचित्य तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की भी जांच की जाती है।

8. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है।

9. भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट/प्रबंधन प्रमाणपत्र हमें अग्रेषित किए गए हैं और हमारे द्वारा समझे गए ढंग से हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें देखा गया है तथा हमारा अभिमत केवल अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों/प्रबंधन प्रमाणपत्रों पर आधारित है।

अभिमत

10. यहां ऊपर पैरा 1 से 9 में दर्शायी गई सीमाओं के अध्यधीन, अपनी लेखा-परीक्षा और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, एक अनुषंगी और एक सहयोगी के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर, हमारी राय और हमारी श्रेष्ठ जानकारी के आधार पर तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है;

(क) 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन-पत्र;

(ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ एवं हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और

(ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

ध्यानाकर्षण

11. निम्नलिखित के संबंध में हम आपका ध्यान अनुसूची 18: 'लेखा टिप्पणियों' की ओर आकर्षित करते हैं;

(क) पैरा-7: पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए ₹2,056.26 करोड़ की विशिष्ट प्रावधान राशि का उपयोग करना;

(ख) पैरा-9: अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान के संबंध में ₹750 करोड़ की राशि के प्रति चक्रीय प्रावधान सुरक्षित राशि का उपयोग करना;

(ग) पैरा-11: भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रावधान राशि के संबंध में आस्थगित कर देयता के सृजन हेतु राजस्व और अन्य आरक्षिती खाते में ₹2,052.76 करोड़ की राशि दिखाना।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारा अभिमत किन्हीं शर्तों पर आधारित नहीं है।

कृते एस. वैंकटराम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 004656 एस

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23.05.2014